



बिहार सरकार  
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग  
पशुपालन निदेशालय

विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक- 7 स्थान (4) लिपिक-02/2025..... दिनांक- ...../2025

EMAIL  
Website

प्रेषक,

डॉ० अरविन्द कुमार,  
संयुक्त निदेशक (मु0)।

सेवा में,

निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना,  
सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन,  
सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी,  
सभी सहायक निदेशक, कुक्कुट, क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र,  
चारा विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना,  
सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, पटना,  
गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना,  
विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक—सह—बुल स्टेशन, पटना,  
परियोजना पदाधिकारी, फ्रोजेन सीमेन बैंक, मुजफ्फरपुर/बाँका/पूर्णियाँ,  
सभी विशेष उप निदेशक (पशु विकास), वृहत पशु विकास परियोजना,  
सभी उप निदेशक (पशु विकास) मध्यम पशु विकास परियोजना,  
सभी सहायक निदेशक (पशु विकास), लघु पशु विकास परियोजना,  
मुख्य अनुदेशक, पशुपालन विद्यालय डुमरांव, बक्सर,  
प्रबंधक, हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमरांव, बक्सर।

**विषय :-** पशुपालन निदेशालय अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिक संवर्ग के कर्मियों को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने—पढ़ने की योग्यता परीक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण होने के संबंध में।

**प्रसंग:-** सामान्य प्रशासन विभागीय पत्रांक 22251 (नि०), दिनांक 12.12.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि अधोहस्ताक्षरी को क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों के सेवा पुस्तिका के अवलोकन से संज्ञान में आया है कि नव नियुक्त लिपिकों का बिपार्ड द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा (हिन्दी विषय सहित) उत्तीर्ण होने के पश्चात् राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने—पढ़ने की योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया जा रहा है

एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा भी कर्मियों के हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना ही सेवा सम्पुष्टि किये जाने हेतु प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध करायी जा रही है।

सामान्य प्रशासन विभागीय पत्रांक 22251 (नि०), दिनांक 12.12.2022 की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए निर्देशित है कि पत्र में वर्णित सन्निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना है।

अतः निदेशानुसार वर्णित परिप्रेक्ष्य में पशुपालन निदेशालय अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिक संवर्ग के कर्मियों को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण किये जाने हेतु निदेश अपने अधीनस्थ कार्यरत लिपिक संवर्ग के कर्मियों को देना सुनिश्चित किया जाय एवं सेवा सम्पुष्टि का प्रस्ताव पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराने के पूर्व इस संदर्भ में अपने स्तर से मिलान/जाँच करना सुनिश्चित कर ली जाय।

अनुलग्नक :— प्रासंगिक पत्र।

विश्वासभाजन

ह०/-

संयुक्त निदेशक (मु०)।

ज्ञापांक :— 7 स्था० (4) लिपिक—02/2025...1046(नि०)

पटना—15, दिनांक .....11/03..../2025

प्रतिलिपि :— पशुपालन निदेशालय अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित सभी लिपिकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

*.....11-3-25*  
संयुक्त निदेशक (मु०)।

पत्रांक -3/एम०-४१/२२५/ प्रा० २२२८/

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ० बी० राजेन्द्र,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव  
सभी विभागाध्यक्ष

पटना, दिनांक 12.12.2022

विषय— विभिन्न सेवा/संवर्ग के सरकारी सेवकों से संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में विभागीय परीक्षा, हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा एवं कम्प्यूटर जाँच परीक्षा के प्रावधानों में एकरूपता लाये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न सेवा/संवर्ग के सरकारी सेवकों से संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में विभागीय परीक्षा, हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा एवं कम्प्यूटर जाँच परीक्षा के प्रावधानों में एकरूपता लाये जाने का प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन था।

2. इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि—

(i) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या—1609 दिनांक—24.05.2011 द्वारा अधिसूचित बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 में NIELIT (पूर्व में DOEACC) द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा एवं तत्संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किये जाने का प्रावधान किया गया था।

परन्तु सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या—21262 दिनांक—30.11.2022 द्वारा अधिसूचना संख्या—1609 दिनांक— 24.05.2011 द्वारा अधिसूचित बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 को निरसित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा) नियमावली, 2022 अधिसूचित की गयी है। प्रासंगिक नई नियमावली में अब कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा एवं उक्त से संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) द्वारा किये जाने

१/

का प्रावधान किया गया है जिसके आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के सहायक, पर्यवेक्षकीय संवर्ग (कनीय अभियंता सहित) के कर्मी एवं अन्य सेवा/संवर्ग के वैसे कर्मी, जिनकी सेवा/संवर्ग नियमावली में कम्प्यूटर सक्षमता जॉच परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रावधान हो, को बिपार्ड द्वारा संचालित कम्प्यूटर सक्षमता जॉच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक है।

(ii) बिहार सरकारी सेवक (हिन्दी परीक्षा) नियमावली, 1968 में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा का आयोजन मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा किया जाता है।

उक्त प्रावधान के तहत ऐसे सभी सरकारी सेवक, जिन्हें अपने कर्तव्य सम्पादन के क्रम में टिप्पणी लिखना और प्रारूप तैयार करना पड़ता है, जिसमें रिपोर्ट आदि भी शामिल है, को देवनागरी लिपि में हिन्दी टिप्पण और प्रारूपण परीक्षा में नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर उत्तीर्ण होना है।

जो सरकारी सेवक संकल्प संख्या-13632 दिनांक-11.10.1961 के अधीन विहित और केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा संचालित हिन्दी की विभागीय परीक्षा में उच्च या निम्न स्तर से उत्तीर्ण हो चुके हों, उन्हें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अपेक्षित न होगा। इस प्रावधान के आलोक में राजपत्रित पदाधिकारियों, जिनके द्वारा केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में हिन्दी में उत्तीर्णता प्राप्त की गयी हो, को हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं करनी होती है।

(iii) संकल्प संख्या-13632 दिनांक-11.10.1961 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार के सभी राजपत्रित एवं अराजपत्रित सरकारी सेवकों के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा किया जाता है। किसी सेवा/संवर्ग के लिए विभागीय परीक्षा के विषय एवं उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा संबंधित प्रशासी विभाग के परामर्श तथा सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से किया जाता है।

2

केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद की अधिसूचना संख्या—2931 दिनांक—01.12.2017 द्वारा विभिन्न सेवा/ संवर्ग के लिए विभागीय परीक्षा के विषय एवं उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण कर संसूचित किया गया है। कालान्तर में कतिपय अन्य अधिसूचनाओं द्वारा भी एतदविषयक निर्णय संसूचित किये गये हैं।

तदनुसार उक्त निर्धारण के फलस्वरूप राजपत्रित/ अराजपत्रित सेवा/ संवर्ग के लिए जो विषय निर्धारित किये गये हैं उनमें हिन्दी एवं कम्प्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान— ये दो विषय लगभग सभी सेवा/ संवर्ग के लिए निर्धारित किया गया है। साथ ही इसमें यह निर्णय भी संसूचित है कि विभागीय परीक्षा में जिनके द्वारा कम्प्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान विषय में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली जायेगी उन्हें NIELIT द्वारा आयोजित कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. प्राथमिक समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि विभिन्न सेवा/ संवर्ग नियमावलियों में उक्त वर्णित विहित विभागीय परीक्षा/ हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा/ कम्प्यूटर जाँच परीक्षा के प्रावधानों में एकरूपता नहीं है। उदाहरण के लिए—

- (i) पंचायत सचिवों को कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी है परन्तु राजस्व पर्षद की विभागीय परीक्षा अथवा हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।
- (ii) राजस्व कर्मचारियों को किसी भी परीक्षा में उत्तीर्णता की आवश्यकता नहीं है।
- (iii) समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों को विभागीय परीक्षा एवं हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण करनी है परन्तु कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करनी है।
- (iv) सचिवालय लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों को कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा उत्तीर्ण करनी है परन्तु विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता का प्रावधान इनके लिए नहीं है।

Q✓

4. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में अराजपत्रित कर्मियों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें चयन हेतु आयोजित परीक्षा मुख्यतः वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकृति की होती है। इसी प्रकार केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में हिन्दी विषय की परीक्षा का आयोजन वस्तुनिष्ठ प्रकृति का ही होता है। अतः इन परीक्षाओं में उत्तीर्णता के बावजूद भी किसी सरकारी सेवक की टिप्पणी लिखने अथवा प्रारूपण करने की योग्यता का आकलन नहीं हो सकता है। परन्तु राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा विषयनिष्ठ (Subjective) प्रकृति की होती है और इस परीक्षा में सरकारी सेवकों के टिप्पणी लिखने अथवा प्रारूपण करने की योग्यता का सही आकलन हो पाता है।

स्पष्टतः अराजपत्रित कर्मियों, जिनके दायित्व में टिप्पणी लिखने एवं प्रारूपण करने की मुख्य जिम्मेवारी होती है, के संदर्भ में राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा का विकल्प विभागीय परीक्षा में हिन्दी विषय में उत्तीर्णता प्राप्त करना नहीं हो सकता है। अतः हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा को उसके वर्तमान स्वरूप में बनाये रखने का औचित्य है।

5. विचाराधीन विषय के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त अनुरोध है कि –

- (i) अपने नियंत्रणाधीन लिपिकीय संवर्गों अथवा लिपिकीय प्रकृति के अन्य संवर्गों की नियमावली के संगत प्रावधानों की समीक्षा की जाय और यदि उनमें कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रावधान न हो तब तदनुसार प्रावधान करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में संशोधन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (ii) अपने नियंत्रणाधीन नवनियुक्त कर्मियों को हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में ससमय उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए उन्मुख (Orient) किया जाय।
- (iii) अपने नियंत्रणाधीन राजपत्रित अथवा अराजपत्रित सेवा/संवर्ग, कार्यालय परिचारी को छोड़कर, से संबंधित नियमावली की समीक्षा कर ली जाय और यदि उनमें विभागीय परीक्षा का प्रावधान न हो तब निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए

✓

नियमावली में तदनुसार प्रावधान करने हेतु संशोधन किया जाना  
सुनिश्चित किया जाय।

6. कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दिया जाय।

विश्वासभाजन,  
*Drejenda* 12.12.2022  
(डॉ बी० राजेन्द्र)  
सरकार के प्रधान सचिव।